भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3325
16 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए नियत

"हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन"

3325. श्री नरेन्द्र कुमार:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा दने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में 'भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण स्कीम' (एफएएमई) की शुरूआत से अब तक बिकने वाले वाहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और उन्हें किफायती बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : जी हां। भारी उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015 में एक स्कीम नामत: भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की। स्कीम का चरण-। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध था।

फेम इंडिया स्कीम के चरण-। के दौरान प्राप्त परिणाम और अनुभव के आधार पर 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। को दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिसूचित किया गया। यह चरण मुख्यत: सार्वजनिक एवं साझा परिवहन के विद्युतीकरण को सहायता प्रदान करने पर केन्द्रित है तथा इसमें मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहियों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहियों के लिए

सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके अलावा,इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज संबंधी चिंता का समाधान करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना सृजन हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

स्कीम के प्रथम चरण में, लगभग 359 करोड़ रुपये के मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 2.8 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान की गई। देश के विभिन्न शहरों के लिए लगभग 280 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ यथासंस्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें तैनात की गईं।

10.03.2021 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। के तहत लगभग 170 करोड़ रुपये के मांग प्रोत्साहन के द्वारा 56,900 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान की गई है। साथ ही, स्कीम के चरण-।। के तहत अनेक राज्य/नगर परिवहन उपक्रमों के लिए 6265 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं। इसमें लगभग 3000 करोड़ रुपये का सरकारी प्रोत्साहन शामिल है।

साथ ही, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं:

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए बिजली की बिक्री को 'सेवा' के रूप में अनुमत किया है। इससे चार्जिंग अवसंरचना में निवेश आकर्षित करने के लिए भारी प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

(iii) सरकार ने सां.आ. 5333 (अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के द्वारा बैटरी-चालित परिवहन वाहनों और इथेनॉल एवं मिथेनॉल इंधनों से चलने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकता में भी छूट प्रदान की है।

(iv) वर्ष 2019-20 के बजट में माननीया वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के प्रयोजन से लिए गए ऋण पर प्रदत्त ब्याज पर ₹ 1.5 लाख की अतिरिक्त आयकर छूट के प्रावधान की घोषणा की।

(v) सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रणाली अथवा इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट को अधिसूचित किया है और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों की टाइप अनुमोदन प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की है।

(vi) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 4.0 किलोवाट तक के गियरलैस ई-स्कूटर/बाइक चलाने के लिए 16 से 18 वर्ष की आयु वालों को लाइसेंस देने के लिए कुछ विनिर्देश अधिसूचित किए हैं।

(vii) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने निजी और वाणिज्यिक भवनों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने हेतु शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देशों में संशोधन किए हैं।

******